झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।
—:: अधिसूचना ::—

राँची,दिनांक– 27.08.2011

संख्या–3/अभि0 –15/148/2008–3418/भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा अभियोजन निदेशालय के संगठनात्मक स्वरूप, झारखण्ड अभियोजन सेवा के पुर्नगठन एवं भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्त्तो आदि के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:–

झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011

अध्याय–1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**
   (i) यह नियमावली झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 कही जाएगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएं**– इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (i) अभियोजन कार्यालय से अभिप्रेत है– जिला एवं अनुमण्डल स्थित सभी अभियोजन कार्यालय।
   (ii) "निदेशालय" से अभिप्रेत है– झारखण्ड अभियोजन निदेशालय ।
   (iii) "सेवा" से अभिप्रेत है– झारखण्ड अभियोजन सेवा।
   (iv) "सरकार" से अभिप्रेत है– झारखण्ड राज्य की सरकार ।
   (v) "अनुसूची" से अभिप्रेत है –इस नियमावली से संलग्न अनुसूची।
   (vi) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है – झारखण्ड राज्य के राज्यपाल।
   (vii) "आयोग" से अभिप्रेत है – झारखण्ड लोक सेवा आयोग।
   (viii) "राज्य" से अभिप्रेत है– झारखण्ड राज्य।
   (ix) "विभाग" से अभिप्रेत है– झारखण्ड सरकार का गृह विभाग।
   (x) "संहिता" से अभिप्रेत है– दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 यथा संशोधित अधिनियम 2005.
   (xi) अभियोजन पदाधिकारी से अभिप्रेत है– सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक या समकक्ष पद।

3. **सेवा की संरचना**– यह सेवा अभियोजन निदेशालय के अधीन गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य करेगा। सेवा के विभिन्न स्तरों के पदों का पूर्ण विवरण अनुसूची–1 के अनुरूप होगा।

   राज्य सरकार समय–समय पर इस सेवा के अधिकृत बल का निर्धारण करेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सेवा के स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी।

(क) लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक ग्रूप "ए" के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।

(ख) सहायक लोक अभियोजक ग्रूप "बी" के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।

(ग) इस सेवा का मूल पद सहायक लोक अभियोजक होगा।

5. सेवा के पदों पर नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार होगा।

अध्याय–2

भर्ती / आरक्षण

6. **भर्ती का स्रोत :–**

(i) इस सेवा में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी –

क्र0	पदनाम	भर्ती का प्रकार
1.	सहायक लोक अभियोजक	सीधी भर्त्ती (नियमावली के अध्याय–3 के अनुसार)
2.	अपर लोक अभियोजक	प्रोन्नति (नियमावली के अध्याय–4 के अनुसार)
3.	लोक अभियोजक	प्रोन्नति (नियमावली के अध्याय–4 के अनुसार)

(ii) सहायक लोक अभियोजक का पद अभियोजन सेवा की मूल कोटि का पद होगा तथा अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक का पद प्रोन्नति का पद होगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति प्रोन्नति के लिये तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अहर्त्ता / कालावधि पूरी नहीं कर ली हो तथा विहित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त न कर ली हो।

7. **रिक्तियों में आरक्षण–** भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना–** विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जून माह में रिक्ति की गणना प्रारम्भ की जायेगी एवं दिसम्बर माह तक सेवा निवृत होने वाले की गणना की रिक्ति में शामिल की जायेगी। तद्नुसार 31 दिसम्बर तक सेवा निवृत होने की गणना कर दिसम्बर माह में रिक्ति की गणना लोक सेवा आयोग को सूचित कर दिया जायेगा।

अध्याय–3

सीधी भर्त्ती

9. आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती–

(क) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से इस सेवा में उपलब्ध पदों की संख्या से किसी भी वर्ष में अधिक भर्त्ती नहीं की जायेगी। परन्तु अगर सरकार चाहे तो पदों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि कर सकती है।

(ख) आयोग द्वारा विज्ञापन निकाल कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि में भर्त्ती हेतु अनुशंसा की जायेगी।

(ग) नियुक्ति में संबंधित अन्य शर्ते वही होगी जो राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर लागू की जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप अनुसूची–II में किए गए प्रावधान एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

10. पात्रता–

(क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है।

(ख) न्यूनतम उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायगी।

(ग) अतिरिक्त योग्यता– कम्प्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र।

11. आयोग प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अनुसूची –II में किये गये प्रावधान के अनुरूप विहित प्रक्रिया अपना सकेगा।

12. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा–**

आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगी। तैयार की गई सूची में से आयोग उतनी संख्या में कोटिवार अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हों। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियाँ अग्रणित की जायेगी।

13. **आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा–** आयोग रिक्तियों को भरने के लिये कोटिवार सफल उम्मीदवारों की सूची, मेधा के क्रमानुसार तैयार करेगा। जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे। इस प्रकार तैयार की गई सूची गृह विभाग झारखण्ड सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा के साथ आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। आयोग की अनुशंसा विभाग में प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।

14. **वरीयता–** इस नियमावली के अधीन इस सेवा में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों (सहायक लोक अभियोजक) की वरीयता का निर्धारण निम्नांकित परीक्षाओं में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई मेधा क्रमानुसार किया जायेगा/होगा।

(I) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक।

(II) प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक।

(III) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक।

15. परिवीक्षा अवधि–

(i) किसी मौलिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक को पदग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि तक परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि वर्द्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं हो तो सेवामुक्त किया जा सकेगा।

(iii) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिक्ष्यमान सहायक लोक अभियोजक को अनुसूची III में विहित बुनियादी प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुसूची–III के परिशिष्ट के अनुसार होगा।

16 **सम्पुष्टि–**

(i) परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा। वशर्ते कि वह निर्धारित मापदंड के अनुसार विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षणोपरान्त ली जाने वाली प्रशिक्षण परीक्षा में उर्त्तीण हो जाए, प्राक् सम्पुष्टि प्रशिक्षण प्राप्त कर ले और राज्य सरकार उसे सम्पुष्ट के योग्य समझे।

(ii) विभागीय परीक्षा अनुसूची–III में किये गये प्रावधान एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होगी तथा बिना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हुए प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगी।

17. **वेतनवृद्धि–**

(1) सहायक लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त होने वाले परिवीक्षा पदाधिकारी को निर्धारित समय पर नियमानुसार प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी। लेकिन प्रशिक्षण परीक्षा के साथ विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही द्वितीय/ अनुवर्त्ती वेतन वृद्धि के हकदार होगें।

अध्याय–4

प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती

18. **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती–**

(क) अपर लोक अभियोजक का पद इस सेवा के मूल कोटि (सहायक लोक अभियोजक) के पद से प्रोन्नति द्वारा वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर भरे जायेगें। प्रोन्नति के प्रस्ताव में सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सदृश्य सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जायेगा। सहायक लोक अभियोजक से अपर लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (IV) में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा।

(ख) लोक अभियोजक का पद अपर लोक अभियोजक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। प्रोन्नति हेतु वरीयता के आधार पर योग्य अपर लोक अभियोजकों की एक सूची अभियोजन निदेशालय के परामर्श से गृह विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। यह सूची कुल रिक्त पदों की संख्या के 1:2 के अनुपात में तैयार की जायेगी। सूची के साथ प्रोन्नति का प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा। रिक्तियों के विरूद्ध प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सदृश्य सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जायेगा। अपर लोक अभियोजक से लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदड अनुसूची (IV) में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा।

प्रोन्नति हेतु समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र/नियम आदि का पालन किया जायेगा।

अध्याय–5

वेतन

19. **वेतन**– इस सेवा की विभिन्न कोटियों के पदो के वेतनमान वही होगें जो राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करेगी।

अध्याय–6

सामान्य

20. **कार्यक्षेत्र संबंधी अनुबंध**–

(i) इस सेवा के सदस्य को अभियोजन एवं आपराधिक मामलों में विधि सलाहकार के रूप में कार्य के लिये झारखण्ड सरकार के किसी भी विभाग में, झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर किसी भी स्थान पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी गैर–संवर्गीय पद पर भी जो उसकी वरीयता के अनुरूप हो पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सके।

21 **प्रशिक्षण**–

(i) इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिये, राज्य में या राज्य से बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकनों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

(ii) प्राक– सम्पुष्टि प्रशिक्षण के दो पक्ष होगें– सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों की अवधि अनुसूची– III के अनुसार होगी।

इस सेवा के लिये अन्य सेवा शर्त यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृति लाभ इत्यादि जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है, या जो इस सेवा के लिये अलग से अधिसूचित नहीं है राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिये किये गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस नियमावली के प्रावधानों को विहित प्रक्रिया द्वारा संशोधित अथवा शिथिल कर सकें। गृह विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिये वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो।

23. व्यावृति–

वैसे सहायक लोक अभियोजक जो इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व लागू परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस नियमावली में विहित परीक्षा उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु जो ऐसी परीक्षा उचित स्तर से उत्तीर्ण नहीं है उन्हें इस नियमावली में विहित परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा।

अनुलग्नक–
अनुसूची– 1 से IV

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(जे0 बी0 तुबिद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/अभि0 –15/148/2008–3418/ राँची, दिनांक–27.08.2011

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 500 प्रतियाँ गृह विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अर्जुन/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/अभि0 –15/148/2008–3418/ राँची, दिनांक–27.08.2011

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महानिबन्धक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/अभि0 –15/148/2008–3418/ राँची,दिनांक–27.08.2011

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची/कार्मिक, प्रसाशनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग/विधि विभाग/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.11.
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/अभि0 –15/148/2008–3418/ राँची,दिनांक–27.08.2011

प्रतिलिपि– महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक /सभी पुलिस अधीक्षक/सभी लोक अभियोजक/महानिरीक्षक, निगरानी ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.11.
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची—I

झारखण्ड अभियोजन सेवा के पदों / पद सोपान का विवरण—

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	प्रोन्नति / सीधी नियुक्ति	वेतनमान
1	सहायक लोक अभियोजक	240	सीधी नियुक्ति	पी0बी0—II (9,300—34800) ग्रेड पे— 4800
2	अपर लोक अभियोजक	110	प्रोन्नति	पी0बी0—III (15,600—39,100) ग्रेड पे— 6600
3	लोक अभियोजक	22	प्रोन्नति	पी0बी0—III (15,600—39,100) ग्रेड पे— 7600

27.8.11.
सरकार के प्रधान सचिव।

....

सहायक लोक अभियोजकों की झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु

परीक्षा की योजना

सहायक लोक अभियोजकों की झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। यह परीक्षा द्वि–स्तरीय होगी–

(A)- प्रारम्भिक परीक्षा (B)- मुख्य परीक्षा

(A) - प्रारम्भिक परीक्षा :

प्रारम्भिक परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का जिसमें सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। द्वितीय पत्र 200 अंकों का विधि विषयक होगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जिसके आधार पर उक्त वर्ष में उपलब्ध/प्रतिवेदित कुल रिक्तियों के तेरह गुणा (1:13) अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किये जायेंगे।

क्र0 सं0	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
1	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100	2 घंटा	सामान्य
2	द्वितीय पत्र	विधि विषयक	200	2 घंटा	विधि स्नातक

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए सन्दर्भित विषय :

प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना–क्रम, भारत के इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे। साथ ही झारखण्ड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। द्वितीय पत्र में साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ख) मुख्य परीक्षा :

मुख्य परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, निबन्ध, सामान्य अध्ययन एवं विधि से सम्बन्धित विषय होंगे। इन विषयों का स्वरूप, अंक, स्तर निम्न प्रकार से होगा –

क्र0 सं0	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
1	प्रथम पत्र	सामान्य हिन्दी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
2	द्वितीय पत्र	अंग्रेजी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
3	तृतीय पत्र	निबन्ध	100	3 घंटा	प्रवेशिका
4	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटा	सामान्य
		विधि विषय			
5	पंचम पत्र	साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया	200	3 घंटा	विधि स्नातक
6	षष्ठम पत्र	भारतीय दंड संहिता	200	3 घंटा	विधि स्नातक
7	सप्तम पत्र	भारतीय संवैधानिक विधि	200	3 घंटा	विधि स्नातक
8	अष्टम पत्र	आपराधिक माइनर एक्ट	200	3 घंटा	विधि स्नातक
9	साक्षात्कार		50		सामान्य

लिखित परीक्षा से सम्बन्धित विषयक विवरण :–

1. सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों को मेधा सूचि तैयार करने में नहीं जोड़ा जायेगा। लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे।
2. विधि विषयों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक (Minimum Qualifying Marks) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए 40 प्रतिशत होगा।
3. अपराधिक माइनर एक्ट में निम्न विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पूछें जायेंगे –

80 Marks Group A	60 Marks Group B	60 Marks Group C
(1) Forest Act 1927	(1) Electricity Act 2003	(1)Essential Commodities Act 1955
(2) Arms Act 1959 Explosive Substance act 1908	(2) Information Technology Act 2000	(2) Dowry Prohibition Act 1961
(3) Criminal Law Amendment Act 1908 + Unlawful Activities (Prevention) Act. 1967	(3) Prevention of corruption Act 1988 + Bihar/Jharkhand Prevention of specified corruption Act 1983	(3) Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act 1989

[illegible]	(4) Prevention of Food Adulteration Act 1954	[illegible] and pratection of Children) Act 2000
(5) Prevention of witch (Dain) Practices Act.1999		

4. मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिन्दी एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जाँच की जाएगी। इसमें 20 अंकों का निबन्ध, 20 अंकों का पत्र लेखन (सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी) 25 अंकों का व्याकरण, 15 अंकों का वाक्य–विन्यास एवं 20 अंकों के संक्षेपण सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगें।

5. मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र निबन्ध में कुल '2' (दो) खण्ड होगें, जिसमें एक खण्ड विधि विषय एवं दूसरा खंड सामान्य निबन्ध पर आधारित होगा। प्रत्येक खण्ड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक निबन्ध 50–50 अंकों का होगा।

6. मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना क्रम से 10 अंकों का, भारत का आधुनिक इतिहास से 10 अंकों का, भूगोल से 10 अंकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 अंकों का सामान्य विज्ञान से 10 अंकों का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंकों के एवं विधि शब्दावली (व्याख्या सहित) से सम्बन्धित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाऐंगे। साथ ही झारखण्ड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति से सम्बन्धित 15 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

8. **विधि विषयक :**

   (i) पंचम पत्र में अपराध प्रक्रिया संहिता से 125 अंकों का तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा।

   (ii) षष्ठम पत्र में भारतीय दंड संहिता से 200 अंकों (समस्या सहित) के प्रश्न पूछे जाऐंगें।

   (iii) सप्तम पत्र में भारतीय संवैधानिक विधि से 200 अंकों का प्रश्न पूछा जायगा ।

   (iv) अष्टम पत्र (आपराधिक माइनर एक्ट से) में खण्ड 'क' से 80 अंक खण्ड 'ख' से 60 अंक तथा खण्ड 'ग' से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा ।

9. सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे तथा अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। (सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय को छोड़कर)।

रिक्ति/रिक्तियों के विरूद्ध तीन गुणा (1 : 3) अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा ।

11. इस प्रकार मुख्य परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची के अनुसार कोटिवार प्रतिवेदित रिक्त पदों के विरूद्ध परिणाम घोषित किये जायेंगे ।

27.8.11.

सरकार के प्रधान सचिव।

....

d:\der\Sudhakar Sharma\Confidencial\Jharkhand Prosecution Law-New.doc P-12

अनुसूची–*III*

बुनियादी प्रशिक्षण

1. नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए 6 माह (180 कार्यदिवस) का कार्यक्रम निर्धारित होगा। प्रथम चरण में 2 माह (60 कार्यदिवस) का सांस्थिक प्रशिक्षण श्री कृष्ण लोक प्रशासनिक संस्थान, रॉंची में तथा एक माह (30 कार्यदिवस) का पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग में किया जाएगा। आवश्यकतानुसार निदेशक, अभियोजन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम/रूपरेखा में संशोधन गृह विभाग की सहमति से किया जा सकता है।

द्वितीय चरण में व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्षेत्र में दिया जाएगा जो संबंधित लोक अभियोजक के मार्ग दर्शन में होगा।

सांस्थिक प्रशिक्षण

2. दो माह (60 कार्यदिवस) का मौलिक प्रशिक्षण, महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासनिक संस्थान, राँची एवं एक माह (30 कार्यदिवस) का प्रशिक्षण प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसका सामान्य पर्यवेक्षण अभियोजन निदेशालय के निदेशक एवं उनके द्वारा प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान साधारणतः कोई अवकाश देय नहीं होगा। मात्र आपातकालीन स्थिति में महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासनिक संस्थान/प्राचार्य पी0टी0सी0 अवकाश प्रदान कर सकेंगे।

3. बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाह्य प्रशिक्षण में प्रातः पी0टी0/योगाभ्यास और अपराह्न में खेल–कूद का कार्यक्रम रहेगा। इस विषय की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, परन्तु उपस्थिति एवं इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा एवं महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासनिक संस्थान/प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण के मूल्यांकन में इसका ध्यान रखा जाएगा।

4 सांस्थिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा के निम्नलिखित विषय होगें जिसमें सभी विषयों में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

क्र0	विषय	अवधि	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	परीक्षा लेने वाली संस्था
1	विधि (प्रथम) भारतीय संविधान एवं भारतीय दण्ड विधान	3 घंटा	100	50	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची (SKIPA)
2	विधि (द्वितीय) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम	3 घंटा	100	50	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची (SKIPA)

क्र0	विषय	अवधि	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	परीक्षा लेने वाली संस्था
3	विधि (तृतीय) लघु अधिनियम	3 घंटा	100	50	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची (SKIPA)
4	विधि विज्ञान एवं औषधि विज्ञान (फौरेंसिक साईन्स एवं फौरेंसिक मेडिसीन), अपराध शास्त्र (क्रिमिनोलॉजी)	3 घंटा	100	50	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची (SKIPA)
5	राज्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, झारखण्ड सेवा संहिता, असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930, वित्त नियमावली आदि।	3 घंटा	100	50	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची (SKIPA)
6	महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA) द्वारा आंतरिक आकलन (इन्टरनल एसेससमेंट)		50		महानिदेशक (SKIPA)
7	कारा हस्तक तथा कारा से संबंधित अन्य अधिनियम, पुलिस हस्तक एवं पुलिस द्वारा आपराधिक वादों में अनुसंधान से संबंधित प्रक्रिया (विशेष रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 154 से 176 तक)	3 घंटा	150	75	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग (PTC)
8	प्राचार्य द्वारा आंतरिक आकलन (इन्टरनल एसेससमेंट)		50		प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग (PTC)
	कुल :–		750 अंक		

उपरोक्त विषयों के लिए पाठ्यक्रम की मूल रूप रेखा निम्न प्रकार होगी, हालाँकि निदेशक, अभियोजन की सहमति से महानिदेशक SKIPA/प्राचार्य, P.T.C. इसमें आंशिक फेरबदल करने के लिए सक्षम होगें।

5. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची द्वारा दी जानेवाली प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम/कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा।

(A) ETHICS, ATTITUDE AND SKILL DEVELOPMENT AND COMMUNICATION SKILLS -

I. Courteous Behaviour and Ethical Values in Prosecution duty

II. Norms of Behaviour, Relations with Bar/ Bench/ Police/ Administration/ Litigants/ Prison Authorities/ Hospital Authorities/ Ministerial Staff

III. Motivation for Maintaining Integrity, Impartiality, Reputation, which in turn helps in Building up confidence

IV. Discipline in Court Room, Professional Conduct, Social expectations from a Prosecutor

V. Office Management and Office Administration

VII. Correspondence with Courts and Administrative wing

VIII. Service Rules

IX. Leave Rules

X. Financial Management

XI. Conduct Rules

XII. Administrative Correspondence and writing of reports etc.

XIII. Treasury rules.

(B) LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS -

I. Language improvement (Hindi and English) with emphasis on use of plain and simple language.

II. Writing of Model (varieties of petition), Noting, Drafting and Pleading.

III. Appreciation of Argument/ Submissions before the Court (Practical Work)

IV. Regional Languages.

(C) CONSTITUTION OF INDIA -

I. Preamble of Constitution

II. Rule of Law

III. Constitutional Vision of Justice in our Country

IV. Fundamental Rights

V. Directive Principles

VI. Services under Constitution

VII. Writ Jurisdiction, P.I.L. under Constitution

(D) CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 WITH (AMENDMENT) OF 2005 ACT -

I. Arrest and remand

II. Search and Seizure

III. FIR and statement u/s 154, 156, 161

IV. Police Diary (Sec. 174)

V. Inquest (Sec. 174)

VI. Recording of confessions u/s 164

VII. Bail, forfeiture of bail bonds and proceedings against surety

VIII. Cognizance (Sec 190 to 199)

IX. Procedure regarding complaints u/s 200

Plea and Charge

XI. Summons trial

XII. Warrant trial

XIII. Summary trial

XIV. Committal proceedings (Sec. 207 to 209)

XV. Proceedings regarding accused who are absconding (Sec. 299)

XVI. Statements u/s 313

XVII. Disposal of properties

XVIII. Procedure regarding recovery of fine

XIX. Compounding of offences (Sec. 320)

XX. Limitation (Sec 467 to 473)

XXI. Local Inspection (Sec. 310)

XXII. Procedure where assused does not understand proceedings (Sec. 318)

XXIII. Provisions as to accused persons of unsound mind (Sec 328 to 329)

XXIV. Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence (Sec. 319)

XXV. Compensation in Criminal Cases (S. 357 & 358)

XXVI. Sentencing Police and Judgement (Sec. 353, 435, 355)

XXVII. Procedure to conduct T.I.P.

XXVIII. Plea Bargaining (Sec. 265 - A to Section 265 - L)

(E) <u>EVIDENCE ACT, 1872 -</u>

I. Appreciation of Evidence

II. Character Evidence

III. Confession

IV. Credibility of witness

V. Dying Declaration

VI. Examination of witnesses

VII. Expert evidence

VIII. Falsity of defence

IX. Hearsay evidence

X. Impeaching credit of withess

XI. Medical Evidence

XII. Motive

XIII. Presumptions

(F) INDIAN PANEL CODE

I. Chapter II (S. 6 to 52A) General Explanations

II. Chapter IV (S. 76 to 106) General Exception

III. Chapter V S. 107, 108, 109, 120A, 120B Abetment

IV. Chapter VIII - S. 141 to 149, 159 Offence against Public Tranquillity

V. Comparison - Common intention and Common Object (Sec. 34, 141 and 149)

VI. Chapter XI - S.191 to 203 Offence against Public Justice

VII. Chapter XIII - S. 264 to 267 Offence relating to weights & measures

VIII. Cja[ter XIV - S. 268 to 294 - Offence affecting the public health, safety, convience, decency & morals

IX. Chapter XV - S. 295 to 298 - Offences relating to religion

X. Chapter XVI - S. 319 to 348, 353,354 offence against Human body

XI. Property

1. Theft
2. Extortion
3. Robbery
4. Mischief
5. Cr. Beach of trust - S. 403 to 409
6. Stolen Property - S. 410, 414
7. Cheating- S. 417,419,420
8. Chapter - XVIII - S. 463 to 471 - offence relation to documents.
9. S. 489A to 489E - Offence relating to currency notes and bank notes
10. Offence relating marriage (Sec. 494, 498A)

(G) SUBSTANTIVE LAWS -

I. Arms Act 1959 (Sec. 25, 26, 27, 35, 37, 39)

II. Negotiable Instrument Act 1881 (Sec. 138 to 142)

III. Probation of offenders Act 1958 - (Sec. 3, 4, 6)

IV. Essential Commodities Act 1955 (Sec. 7, 3)

V. Food Safety and Standards Act 2006

VI. Environment (Protection) Act 1986

VII. Wild Life (Protection) Act 1972

VIII. Electricity Act 2003

IX. Scheduled Castes and Scheduled Tribel (Preventionof Artocities) Act, 1989

X. Family Courts Act 1984

XI. Weights and Measurement Act

XII. Shops and Establishment Act

XIII. Forest Act

XIV. Dowry Prohibition Act 1961

XV. Domestic Violence Act 2005

XVI. Witch Craft Act

XVII. Excise Act

XVIII. Prevention of Corruption Act 1988

XIX. Prevention of Food Adulteration Act 1954

XX. Prevention of Money Laundering Act 2002

XXI. Protection of Human Rights Act 1993

XXII. Right to Information Act 2005

XXIII. Consumer Protection Act

XXIV. Contempt of Courts Act

XXV. Environment Protection Act 1986

XXVI. Indian Explosive Act

XXVII. Explosive Substance Act

XXVIII. Immoral Traffic (Prevention) Act 1956

XXIX. Information Technology Act 2000

XXX. Legal Services Authorities Act 1987

XXXI. Maintenance and Welfare of Patents and Senior Citizen Act 2007

XXXII. Mental Health Act 1987

XXXIII. Motor Vehicle Act 1988

XXXIV. Police Act 1861

XXXV. Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques, (Prohibition of Sex, Selection) Act 1994

XXXVI. Pre-Natal Diagnostic Act

XXXVII. Juvenile Justice Care and Protection Act

XXXVIII. N.D.P.S. Act

XXXIX. Cyber Laws

XL. Unlaw ful Activities (Prevention) Act

(H) LOCAL LAWS -

I. Chota Nagpur Tenancy Act.

II. Santhal Pargana Tenancy Act.

(I) GENDER JUSTICE (BAIL, DETERMINATION OF AGE) -

I. Crime against women and Role of Prosecutors

II. Discrimination and Harassment of Women at work place

III. Female Foeticide and Infanticide

(J) ROLE OF FORENSIC SCIENCES AND FORENSIC MEDICINE IN PREVENTING AND DETECTING CRIMES AND CRIMINALS.

(A) Forensic Science Literature Experts on verious topics like

1. History of Forensic Science
2. F.S.L. and other Expert Institutions and their Utilisation.
3. Scene of Crime-Preservation & its examination.
4. Finger Prints, Foot Prints.
5. Physical Evidence-importance and its Service.
6. Identification of Hair, Fibres, Soil, Glass, Burns, Blood, Semen etc.
7. Documents, Coins, Currency, Scripts, Forgery.
8. Ballistics, Expert Opinion and its value.
9. Examination of Alcohol, Drugs, Narcotics & Poisons
10. Photography in Police/Court Work.
11. X-Ray, Infra-red rays, Ultraviolet Rays, Microscopic Examination.

(B) Forensic medicine

1. Introduction-Scope and Importance.
2. Examination of Scene of crime from the point of view of medico-legal.
3. Methods of establishing identity of living objects, dead persons, post-mortem and Ante-Mortem Examination, emphasis on cause and time of death, Distinction between Homicide and Suicide.
4. Violent asphyxial death by Hanging, strangulation, throttling, suffocation & drawing.
5. Medico-legal aspects of different types of wounds, Duration & Weapon used or means adopted.
6. Injuries, wounds/Injuries by fire arm/Explosives.
7. Medico-legal aspects of poisons commonly used in India in the commission of crime.

(K) Visit to Forensic Science Laboratory and demonstration of different forensic tests at FSL

(L) Visit to Civil Hospital for watching Post mortem examination.

334

34

(M) COMPUTER TRAINING

Trainees should be acquainted with the:-

I. Basic Knowledge of Computer and its Peripheral and uses

II. Operating System & Windows

III. M.S. Office. (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

IV. E-mail.

V. Internet Browsing. etc.

(N) EXCURSION

Six to Seven days excursion of Neighbouring states to know their working of Prosecution set up etc.

(नोट :– झारखण्ड की जनजातियों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा मुंडारी, संथाली, हो, खरिया, कुरूख, माल्टो एवं अन्य भाषायें हैं। इसके अतिरिक्त उनकी बोलियों पर अन्य बोलियों तथा शब्दों के आदान प्रदान से कई क्षेत्रों में संपर्क भाषा जैसे– नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली या खोरठा, सादरी या सदानी का विकास हुआ। इन क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जनजातियाँ दुसरी जातियों तथा जनजातियों के साथ संवाद विनिमय करती है।

उक्त भाषाओं के संबंध में सभी प्रशिशुओं को इस प्रकार की जानकारी देना है जिसमें ये यहाँ के जनजातियों एवं अन्य के साथ आपस में प्रभावी संवाद का विनिमय कर सकें।

- **आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यायल द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण का पाठ्क्रम/कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा –**

1. पुलिस द्वारा आपराधिक वादों में अनुसंधान (दण्ड प्र०सं० की धारा–154 से 176 तक) से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी।

2. झारखण्ड जेल (हस्तक) के मुख्य बिन्दु जिसे अभियोजको को जानना अति आवश्यक है। विशेषकर महिलाओं, बच्चों और विचाराधीन कैदियों से संबंधित प्रावधान तथा जेल से संबंधित निम्न अधिनियमों की मुख्य विशेषताएँ –

   a. Prison Act, 1894
   b. Prisoners Act, 1900
   c. The Transfer of Prisoners Act, 1950
   d. Prisoners (Attendence in Courts) Act, 1955
   e. The Repatriation of Prisoners Act, 2003

   इसमें केन्दीय कारा, हजारीबाग में प्रशिक्षुओं को ले जाकर प्रशिक्षण भी देना समाहित है।

3. झारखण्ड पुलिस हस्तक (विशेषकर अध्याय 1,6,8,9,10,11,12,13,16 तथा अध्याय 42)

6. प्रशिक्षु अभियोजन पदाधिकारी को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा प्रशिक्षणोपरान्त आयोजित

में प्राप्त अंको के साथ जोडकर सभी सहायक लोक अभियोजको का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा अगर कोई प्रशिक्षणार्थी किसी विषय में अनुत्तीर्ण रहेगा तो उसे श्री कृष्ण लोक प्रशासनिक संस्थान/पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा आयोजित अगली परीक्षाओं में भाग लेकर उत्तीण होना अनिवार्य होगा। जब तक वह सभी विषयों में उत्तीण नहीं हो जाता तब तक उसकी सेवा सम्पुटि नहीं होगी एवं उसे द्वितीय/अनुवर्ती वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी।

व्यवहारिक प्रशिक्षण

7. क्षेत्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण निम्नलिखित दो चरणों में दिया जाएगा :

(क) जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन पुलिस एवं अनुसंधान विषयक प्रशिक्षण–15 कार्यदिवस

(ख) लोक अभियोजक के अधीन अभियोजन के समस्त पक्ष और कोर्ट प्रशिक्षण–75 कार्यदिवस

पुलिस प्रशिक्षण

8. 15 कार्यदिवस (अवधि) का यह प्रशिक्षण जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन/नियंत्रण में आयोजित किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रशिक्षु अभियोजन पदाधिकारी को किसी ऐसे थानों के साथ संलग्न किया जाएगा, जहाँ पुलिस के सभी प्रकार के कार्य से साक्षात्कार हो सके। चुनाव ऐसे थानो का किया जाएगा, जहाँ थाना प्रभारी प्रशिक्षण के लिए समुचित समय दे सकें। उच्चाधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण के लिये यह आवश्यक है कि थाना यथा सम्भव जिला मुख्यालय में या इसके निकट अवस्थित हो। थाना प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को पुलिस प्रणाली के निम्नलिखित पहलुओं की विशेष जानकारी दी जाएगी।

(क) पुलिस अनुसंधान के सभी पक्ष, थाना से संधारित सभी प्रकार के अभिलेखों से परिचय यथा–स्टेशन डायरी, प्राथमिकी, केस डायरियाँ, अंतिम प्रतिवेदन, आरोप–पत्र, अप्राकृतिक मृत्यु कांड की प्राथमिकी, सम्मन/वारंट/कुर्की जप्ती रजिस्टर, अनुसंधानित/अनुसंधानाधीन कांडों का अध्ययन, मालखाना, गुमशुदा व्यक्तियों की प्राथमिकी, खतियान, डोसियर, एम0 ओ0 इन्डेक्स, अल्फाबेटिकल इन्डेक्स, विभिन्न तख्तियाँ, निजी दैनन्दिनी, निरीक्षण पंजी, पत्राचार पंजियाँ, अपराध निर्देशिकाएँ, प्राथमिकी पंजी, फरारी बही, अनुसंधान में सहायक वैज्ञानिक उपकरण इत्यादि।

(ख) थाना प्रभारी विभिन्न प्रकार के कम से कम 5 कांडों के अनुसंधान में प्रशिक्षु को घटनास्थल पर संबंधित अनुसंधानकर्त्ता के साथ भेजेंगे यथा आपराधिक षड्यन्त्र, हत्या, डकैती, लूट, गंभीर दंगा, मोटरयान, कमजोर वर्ग एवं महिला के विरूद्ध अपराध, गृह भेदन, जालसाजी, गबन आदि जैसे काण्ड।

(ग) प्रशिक्षु अभियोजन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक द्वारा किये गये कम से कम 5 कांडों के पर्यवेक्षण में उनके साथ जायेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक की हिन्दी शाखा और अपराध शाखा में अभिलेखों के संधारण से पूर्ण परिचित कराया जाएगा।

(घ) उपरोक्त प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अभियोजन पदाधिकारी प्रतिदिन निजी दैनन्दिनी लिखेंगे, जिसमें किये गये कार्य का विस्तृत ब्योरा अंकित किया जाएगा। एक माह पूरा

... के प्रभारी इस निजी दैनन्दिनी को संबंधित पुलिस अधीक्षक अपने मंतव्य के साथ निदेशक, अभियोजन को अग्रसारित करेंगे।

न्यायालय प्रशिक्षण

9 यह प्रशिक्षण 75 कार्यदिवस (अवधि) का होगा और लोक अभियोजक के निर्देशन में दिया जायेगा। प्रशिक्षण का निकट से अनुश्रवण प्रभारी उप निदेशक अभियोजन करेंगे।

(क) जिला अभियोजन कार्यालय में संधारित विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का अध्ययन, यथा सामान्य पंजी, दोषसिद्ध (कन्विक्शन) पंजी, जमानत विवरणी, दैनिक विचाराधीन केस पंजी, मालखाना रजिस्टर, पत्राचार पंजियाँ, जेल पैरेड पंजी, पी0 आर0 पंजी, हाजत पंजी, ब्रीफ, मासिक कार्य विवरणी इत्यादि।

(ख) एक माह में कम से कम 20 दिन काण्डों के ट्रायल/जमानत की सुनवाई के दौरान विभिन्न अभियोजकों के साथ विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित रहेंगे और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। आरोप–पत्रित कांडों के गहन अध्ययन के साथ ब्रीफ बनाने और न्यायालय में बहस की कला सीखेंगे।

10 उपरोक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के द्वारा प्रतिदिन निजी दैनन्दिनी लिखी जाएगी। इसे लोक अभियोजक के द्वारा प्रभारी उप निदेशक अभियोजन के माध्यम से प्रत्येक माह अपने वस्तुनिष्ठ मंतव्य और मूल्यांकन के साथ निदेशक, अभियोजन को अग्रसारित किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रतिवेदन : प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण के बाद प्रशिक्षक (महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान/प्राचार्य, पी0टी0सी0, जिला पुलिस अधीक्षक और लोक अभियोजक) के द्वारा प्रशिक्षु के बारे में मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशक, अभियोजन के पास भेजा जायेगा। इसे प्रशिक्षु की सेवा सम्पुष्टि के समय विचार में लिया जायेगा। इसके अलावा महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान/प्राचार्य, पी0टी0सी0, हजारीबाग के द्वारा पूर्ण परीक्षा फल प्रत्येक प्रशिक्षु को अभियोजन निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। परीक्षा फल का सार (ऐब्सट्रैक्ट) निदेशक, अभियोजन के पास भेजा जायेगा जिसे प्रशिक्षु की सेवा सम्पुष्टि के समय ध्यान में रखा जायेगा।

विभागीय परीक्षा

11 सभी अभियोजन पदाधिकारियों के लिए राजस्व परिषद के केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा ली जानेवाली विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा में उच्च स्तर से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

12. **परीक्षा के विषय :**

(1) अभियोजन पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी :

(क) विधि, भाग I (पुस्तक के बिना)
(ख) विधि, भाग II (पुस्तक सहित)
(ग) लेखा और
(घ) हिन्दी

विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये इच्छुक पदाधिकारी के लिये निदेशक, अभियोजन, झारखण्ड के पास उचित माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन भेजना अपेक्षित है। प्राप्त आवेदनों को निदेशक, अभियोजन, झारखण्ड के द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) के सचिव के पास अविलम्ब अग्रसारित कर दिया जाएगा।

14. विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम :—

भाग : 1 — विधि

(1) विधि में ली जाने वाली परीक्षा यथासंभव उन्हीं विषयों से सम्बद्ध होगी जो विधि न्यायालयों के दैनिक कार्यपालन में प्रायः उठते रहते हैं। जिन प्रश्न पत्रों के उत्तर पुस्तकों की सहायता से दिये जाएगें, वे इस प्रकार चुने जायेंगे जिससे कि तथ्यों के संबंध को समझने और कानून को सुनिश्चित करने संबंधी उम्मीदवारों की क्षमता की पूरी–पूरी जाँच हो सके तथा यदि उनके वास्तविक जीवन में ऐसे तथ्यों से संबंधित घटनाएँ हों तो उम्मीदवार यह बता सकें कि उन पर कौन सा कानून लागू होगा। इस प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिये केवल समुचित प्राधिकार द्वारा निर्गत अधिनियमों या संहिताओं और हस्तकों के संस्करणों का उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी।

(2) परीक्षा एक ही स्तर की होगी। दो प्रश्न पत्र होंगे, एक बिना पुस्तकों का और दूसरा पुस्तकों के साथ। प्रत्येक प्रश्न पत्र 160 अंको और तीन घंटे का होगा। विधि प्रथम पत्र (बिना पुस्तकों का) और विधि द्वितीय पत्र (पुस्तको के साथ) की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये अपेक्षित न्यूनतम अंक प्रत्येक में 90 होंगे।

(3) जिन अधिनियमों और संहिताओं में विधि प्रथम पत्र प्रश्न चुने जायेंगे वे नीचे दिये गये है।

(क) भारतीय दण्ड संहिता अध्याय 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18 और 23 तथा सीधी अपराधों की परिभाषाएँ।
(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 यथा संशोधित 2005 का अध्याय 4 से 25.
(ग) **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** : अध्याय II (भाग 5 से 35, 45 से 48, 51, 53 और 54) अध्याय 4, अध्याय 5, (केवल धारा 61 से 65, 67 और 73) अध्याय 7 (केवल धारा101 से 106, 110 और 114),अध्याय 9, अध्याय 10 (केवल, धारा 135 से 149 और 152 से 162)।

(घ) पुलिस अधिनियम, 1861.
(ङ) पुलिस अधिनियम, 1888.
(च) पुलिस अधिनियम, 1949
(छ) चिकित्या न्याय शास्त्र– सभी संशोधित अधिनियम।

(4) विधि–पत्र–II (पुस्तक के साथ)
नीचे दिये गये अधिनियमों, नियमावलियों और हस्तकों से प्रश्न चुने जायेंगे :—
(1) भारतीय दण्ड संहिता
(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता
(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(4) झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम
(5) झारखण्ड पुलिस हस्तक
(6) सैनिक पुलिस हस्तक

(7) भारतीय आयुध अधिनियम, 1959
(8) भारतीय आयुध नियमावली, 1962.
(9) प्रिवेन्टिव डिटेन्सन एक्ट, 1950 Crime Control Act
(10) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947
(11) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946
(12) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
(13) पशु अतिचार अधिनियम, 1871
(14) प्रेस (आपत्तिजनक सामाग्री) अधिनियम, 1951
(15) भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912
(16) अफीम अधिनियम, 1857
(17) अफीम अधिनियम, 1878
(18) पब्लिक सराय तथा पड़ाव अधिनियम, 1867
(19) इन्डियन ट्रेजर ट्रौ अधिनियम 1878
(20) पुलिस (इन्साइटमेन्ट टू डिसेफेक्सन) अधिनियम 1922
(21) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867
(22) सिनेमा अधिनियम, 1918
(23) सिनेमा अधिनियम, 1952
(24) ड्रामेटिक परफॉरमेन्स अधिनियम, 1876
(25) भारतीय तार अधिनियम, 1885
(26) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1808
(27) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
(28) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) तथा नियमावली
(29) भारतीय रेल अधिनियम, 1890
(30) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960
(31) बिहार एवं उड़ीसा उत्पाद अधिनियम, 1915
(32) बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 7, 1940
(33) ग्रामीण चौकीदारी अधिनियम, (बंगाल अधिनियम 1870 का 6) तथा नियमावली
(34) सार्वजनिक जुआ अधिनियम,
(35) निजी मत्सय पालन सरंक्षण अधिनियम,
(36) बिहार उड़ीसा मोटर गाड़ी करारोपण नियमावली
(37) बिहार उड़ीसा मोटर गाड़ी करारोपन अधिनियम
(38) भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923
(39) बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920
(40) बिहार आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1948
(41) सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम,
(Information & Technology Act.)
(42) Cyber Laws.
(43) Right to information Act. सूचना अधिकार अधिनियम,
(44) Women Right Violation Act.
(45) डायन प्रतिषेध अधिनियम Witch Craft (Prevention) Act.
(46) C.L.A. (Criminal Law Amendment Act)
(47) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA)
(48) वन अधिनियम

(5) लेखा की पाठ्य पुस्तकें और इनमें अध्ययन के लिए निर्धारित अंशों का ब्योरा नीचे दिया गया है। परीक्षा पुस्तकों की सहायता से होगी। प्रश्न ऐसे होगें जिनसे विहित पुस्तकों के सिद्धांतों और उपबंधों के बारे में उम्मीदवारों की व्यवहारिक जानकारी की जांच हो सके। इसमें तीन घंटे और 160 अंकों का एक पत्र होगा। लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक 90 होगा।

(1) झारखण्ड पुलिस हस्तक, 2001, अध्याय 29 (लेखा)
(2) झारखण्ड सेवा संहिता, 2001

अध्याय 2, (परिभाषा), अध्याय 3 (नियम 61 से 66 को छोड़कर), अध्याय 4, अध्याय 5 (नियम 110 से 136 को छोड़कर), अध्याय 6, (नियम 160, 191 से 195 को छोड़कर), अध्याय 7, अध्याय 8,

(3) यात्रा भत्ता नियमावली।

भाग– III हिन्दी

(6) हिन्दी देवनागरी लिपि में एक ही लिखित पत्र 120 अंकों का होगा। परीक्षावधि तीन घंटे की होगी। अंकों का विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा :–

(1) टिप्पण :– 50 अंक
(2) प्रारूपण :– 50 अंक
(3) वाक्यों का शुद्धिकरण :– 20 अंक

60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाले पदाधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाएगें।

(7) हिन्दी में मौखिक परीक्षा भी होगी जिसमें 100 अंक होगें। मौखिक परीक्षा के विषय निम्न लिखित होगें :–

(1) सामान्य विषयों पर वार्त्तालाप :– 40 अंक
(2) सामान्यतः प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की जानकारी :– 30 अंक
(3) हिन्दी पांडुलिपि पढ़ना और अँग्रेजी में उनका मौखिक अनुवाद तथा अँग्रेजी अवतरण पढ़ना और उनका हिन्दी में मौखिक अनुवाद :– 30 अंक

मौखिक परीक्षा में उत्तीण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत होगा।

(8) पदाधिकारी को हिन्दी में उत्तीर्ण घोषित होने के लिये लिखित और मौखिक परीक्षा में अलग–अलग न्यूनतम उत्तीर्णाक प्राप्त करना है।

27.8.11.

सरकार के प्रधान सचिव।

....